उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-2
संख्या-839/14-2-15-4(2)/2015
लखनऊ, दिनांक 01 जून, 2015

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या -16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर, उप जिलाधिकारी, भिनगा, जिला- श्रावस्ती को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रावस्ती	भिनगा	तुलसीपुर	लालपुर कुशमहवा	5 ख 6 क 11 12 13 14 क 15 16 मि 21 22 24	6.045 1.600 0.400 24.770 1.310 1.650 5.345 3.526 0.820 0.700 1.205	उत्तर- गाटा सं0- 2, 6ख, 10, 9, 34 (भाग) दक्षिण- गाटा सं0- 17,19,20,25, 26,33. पूर्व- गाटा संख्या- 34 (भाग). पश्चिम- गाटा सं0- 2.
				योग	**11 किता**	**47.371 एकड या 19.1710 हे0**	

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in